प्रेस नोट दिनांक 10.10.2024

जनपद चन्दौली

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत हत्या के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार IV जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 09.11.18 को धारा 307,302,506,34 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.नसुरी उर्फ शेर बहादुर पुत्र महन्त चौहान निवासी अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 384/2018 धारा 307,302,506,34 भादवि थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री शशि शंकर सिंह (डीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राकेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 10.10.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार IV जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.नसुरी उर्फ शेर बहादुर पुत्र महन्त चौहान निवासी अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को आजीवन कारावास की सजा व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 10.10.2024

थाना चकिया, जनपद चन्दौली

थाना चकिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा किये गये वारदात को चकिया पुलिस टीम द्वारा ने सफल अनावरण करते हुए 03 अभ्यस्त चोरो को किया गिरफ्तार ।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन मे चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण , चोरी की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में चकिया पुलिस टीम द्वारा मु.अ.सं. 182/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियोग में आज दिनांक 10.10.2024 को थाना चकिया पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी किये गये एक मोटरपम्प(टुल्लू) व अभियुक्तगण 1. सोनू राजभर पुत्र राजकुमार राजभर निवासी ग्राम अलीपुर भगडा थाना चकिया जनपद चन्दौली 2. रोहित राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम अलीपुर भगडा थाना चकिया जनपद चन्दौली 3. महेश राजभर पुत्र स्व. बिजई राजभर निवासी ग्राम अलीपुर भगडा थाना चकिया जनपद चन्दौली को हिनौती छुछाड मोड़ से गिरफ्तारी/बरामदगी की गयी । अभियुक्तगण द्वारा पूर्व मे भी प्राइमरी विद्यालय गनेशपुर से छत पर लगे सोलर पैनल को भी चोरी किया गया था । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है ।

पूर्व कि घटना- दिनांक 7/8.10.2024 को अलीपुर भगड़ा गांव से खेत में लगे मोटर पम्प(टुल्लू) को अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिया था। जिसके सन्दर्भ में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 182/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. सोनू राजभर पुत्र राजकुमार राजभर निवासी ग्राम अलीपुर भगडा थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. रोहित राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम अलीपुर भगडा थाना चकिया जनपद चन्दौली

3. महेश राजभर पुत्र स्व. बिजई राजभर निवासी ग्राम अलीपुर भगडा थाना चकिया जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 182/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु.अ.सं. 182/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-1.एक अदद मोटरपम्प(टुल्लू)

पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2. उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

3. हे0का0 रामतीर्थ थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.10.2024

थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद चन्दौली में चोरी से सम्बन्धित अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहें अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 केशव प्रसाद सिहं मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मु.अ.सं.-172/2024 धारा 305/331(2) बीएनएस से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी के कब्जे से एक बोरी में एक परात पीतल, एक लोटा पीतल व एक टीवी सेटअप बाक्स बरामद किया गया। पुलिस अभिरक्षा व बरामदगी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना स्थानीय द्वारा प्रचलित है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना स्थानीय पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि ग्राम निदिलपर में चोरों द्वारा घर में घुसकर घर के अन्दर रखे पीतल के परात, लोटा व टीवी सेटअप बाक्स आदि घरेलू सामान चोरी करने की घटना घटित की गयी थी। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 172/2024 धारा 305/331(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 172/2024 धारा 305/331(2)/317(2) बीएनएस-2023

नोट- अभियुक्त के अन्य अपराध की जानकारी की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 केशव प्रसाद सिंह -थाना धानापुर जनपद चन्दौली

2.हे0का0 संजय सोनकर- थाना धानापुर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 10.10.2024

थाना साइबर क्राइम, जनपद चन्दौली

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा 01 साइबर पीड़ित के कुल 43000 रूपये वापस कराये गये।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक अभिषेक कुमार यादव पुत्र नरेश यादव निवासी मढिया थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली का फ्राड तरीके से 43000/- रुपये का युपीआई के माध्यम से पैसा कट गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदक अभिषेक कुमार यादव उपरोक्त द्वारा एनसीआरपी पोर्टल / थानाध्यक्ष साइबर क्राइम के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 43000/- रुपये आवेदक के खातें में वापस कराया गया।

आवेदक अभिषेक कुमार यादव उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम एंव साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

नाम पता आवेदक-

अभिषेक कुमार यादव पुत्र नरेश यादव निवासी मढिया थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 43000/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0 नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

2.हे0का0 सुनील कुमार मिश्रा

3.का0 अनिल कुमार

4.का0 आशुतोष भारद्वाज

5.का0 सन्तोष कुमार यादव

6.का0 राहुल यादव

7.का0 मो0 नौशाद

प्रेस नोट दिनांक- 10.10.2024

जनपद चन्दौली

◆ **कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।**

◆ **अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।**

◆ **महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 04 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।**

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 10.10.2024 को ऐसे ही 04 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन सिविल जज (जूडि)/जेएम-एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500-1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 26.05.1992 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्तगण 1.लालबहादुर पुत्र रामसजीवन निवासी बमरौली थाना धुमनगंज जनपद प्रयागराज 2.आविद अली पुत्र पीरवम्स निवासी हथगांव थाना हथगांव जनपद फतेहपुर 3.असलम पुत्र नैमुद्दीन निवासी मुहम्मदपुर कला थाना हारेगाव जनपद फतेहपुर के विरुद्ध अपराध संख्या-115/1992 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-10.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन सिविल जज (जूडि)/जेएम-एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्तगण 1.लालबहादुर पुत्र रामसजीवन निवासी बमरौली थाना धुमनगंज जनपद प्रयागराज 2.आविद अली पुत्र पीरवम्स निवासी हथगांव थाना हथगांव जनपद फतेहपुर 3.असलम पुत्र नैमुद्दीन निवासी मुहम्मदपुर कला थाना हारेगाव जनपद फतेहपुर को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1500-1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।